



अधीक्षण अभियंता का कार्यालय

बिहार राज्य जल पर्षद
गंगा परियोजना अंचल सं०-2,
पश्चिमी बोरिंग कैनल रोड, पटना-800001.

पत्रांक:-- _____ /

पटना, दिनांक:--..... /

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, सुपौल।

विषय:-- ई.-टेंडरिंग पद्धति द्वारा राज्य योजना अन्तर्गत पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना सं०-03/2017-18 (ग्रुप सं०-03) के कार्य मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत Water Supply (With quality affected) at ward No.-11 under Municipal Council Supaul का कार्य आवंटन करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग:-- आपका पत्रांक-454 दिनांक-06/06/2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगाधीन पत्र से ई० टेन्डरिंग पद्धति द्वारा राज्य योजना अन्तर्गत निविदा आमंत्रण सूचना सं०-03/2017-18 के ग्रुप सं०-03 के वार्ड सं०-11 में हर घर नल-जल जलापूर्ति योजना में मात्र 01 (एक) निविदाकार श्री श्याम किशोर पाण्डेय, ग्राम-मोलदियार टोला, वार्ड नं०-12, मोकामा, पटना के द्वारा भाग लिया गया है, जो कि एकल निविदा है और यह पुनर्निविदा है जिसका निष्पादन एक स्तर उपर यानि मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना द्वारा किया गया है।

मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना के द्वारा ग्रुप सं०-03 के वार्ड सं०-11 का परिमाण विपत्र दर से 0.47% (Below) कम दर पर दर अनुमोदन कर दिया गया है।

एकल निविदा होने के कारण उक्त कार्य श्री श्याम किशोर पाण्डेय, गाँव-मोलदियार टोला, वार्ड नं०-12, मोकामा, पटना को परिमाण विपत्र की राशि ₹ 46,61,404/- (छियालीस लाख एकसठ हजार चार सौ चार) रुपये मात्र से 0.47% (Below) कम दर की राशि यानि ₹ 46,39,495/- (छियालीस लाख उनचालीस हजार चार सौ पंचानवे) रुपये मात्र पर कार्य आवंटित किया जाता है।

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद सुपौल एकरारनामा करने के पूर्व जमानत की राशि एवं नियमानुसार additional performance guarantee लेते हुये सभी कागजातों से संतुष्ट होने के उपरान्त एवं सभी कागजातों का सत्यापन कर एकरारनामा करेंगे एवं निम्न निर्देशों का दृढतापूर्वक पालन करते हुए एकरारनामा करेंगे।

1. कार्य समाप्ति की अवधि 06 (छः) माह होगी।
2. कार्य पर होने वाला व्यय को वित्तीय एवं तकनीकी अनुमोदन के अधीन सीमित रखा जाय।
3. एकरारनामा हेतु पूर्ण रूपेण जांचोपरान्त परिमाण विपत्र के अवयवों को शुद्ध एवं वैद स्वरुप प्रयुक्त किया जाय, जिसमें दर अंक एवं शब्द दोनों में हो।

कृ.पू.उ.

28-8-17

4. रोटरी रिभर्स मशीन के भौतिक सत्यापन संबंधित सयंत्र का प्रमाणक एवं स्वसत्यापित सूची संबंधित निविदाकार को संलग्न करना आवश्यक होगा। जिसका भौतिक सत्यापन करने के बाद ही एकरारनामा करना सुनिश्चित करेंगे।
 5. अग्रधन की राशि की जांच निश्चित रूप से करवाना सुनिश्चित करेंगे।
 6. कार्य का एकरारनामा 10 (दस) दिनों के अन्दर सम्पन्न कराकर कार्य भीघ प्रारम्भ कराया जाय।
 7. अगर निविदा में अंकगणितीय गणना में कोई त्रुटि रह गई तो इसकी सूचना निश्चित रूप से की जाय एवं निविदा का कार्यान्वयन तब तक नहीं किया जाय जब तक कि इस स्तर से समुचित निदेश प्राप्त नहीं हो जाय।
 8. कार्य का सम्पादन तकनीकी स्वीकृति में दिये गये टीका-टिप्पणी के अनुरूप विशिष्टियों के अनुसार की कराया जाय।
 9. कार्य का निष्पादन कार्यपालक अभियंता (डुडा), सुपौल के देख-रेख में कराना सुनिश्चित किया जाय एवं कार्य को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण करायी जाय।
 10. कार्य आरम्भ करने के पूर्व प्री लेवल अवश्य करा लें, ताकि कार्य पूर्ण होने पर कृत कार्य मात्रा की गणना सही ढंग से की जा सके।
 11. पाईप लाईन बिछाने के पूर्व HDPE/MDPE पाईप की गुणवत्ता की तृतीय पार्टी जांच (Third Party inspection) CPET हाजीपुर से अवश्य करा ली जाय। अन्य सामान जैसे फेसल, फिटिंग्स इत्यादि ISI मार्क का ही प्रयुक्त किया जाय।
 12. कार्य स्थल के आरंभिक एवं अंतिम बिन्दु पर योजना संबंधी सूचना पट्ट Mild steel Angle पर लगाना आवश्यक है, जो PCC से Fix किया गया हो।
- प्राप्त तुलनात्मक विवरणी मूलरूप में सभी निविदा कागजात के साथ अग्रतर कार्रवाई हेतु वापस की जा रही है।

विश्वासभाजन

ह0/-

अधीक्षण अभियंता,

गंगा परियोजना अंचल सं0-2, पटना।

ज्ञापांक:-...../ पटना, दिनांक:-...../
प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अधीक्षण अभियंता,

गंगा परियोजना अंचल सं0-2, पटना।

ज्ञापांक:- **598** / पटना, दिनांक:- **14/07/2018**
प्रतिलिपि:-श्री सोमेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता-सह-नोडल पदाधिकारी (नल-जल निश्चय योजना), नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अधीक्षण अभियंता,

गंगा परियोजना अंचल सं0-2, पटना।